भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3043
उत्तर दिनांक 19/03/2026 को दिया गया

कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विस्तार

3043. श्री जग्गेश

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने कर्नाटक के कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दो 700 मेगावाट क्षमता वाली दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या विनियामक मंजूरी विशेष रूप से कैगा में इकाई 5 और 6 के निर्माण की शुरुआत को चिह्नित करने वाले 'कंक्रीट की पहली ढलाई' से संबंधित है;

(ग) क्या लार्सन एंड टुब्रो ने आगामी 700 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों के लिए आवश्यक आठ भाप जनरेटरों में से चार पहले ही भेज दिए हैं; और

(घ) क्या इन दो इकाइयों का निर्माण भारत सरकार की फ्लीट-मोड कार्यक्रम के तहत परमाणु ऊर्जा क्षमता विस्तार की व्यापक योजना का हिस्सा है, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) हां। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने कर्नाटक के कैगा में 2 X 700 मेगावाट, दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर), केजीएस-5 व 6 के स्थल चयन और निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) हां। कर्नाटक के कैगा में इकाई-5 व 6 का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए 'कंक्रीट का प्रथम भराव' (एफपीसी) से संबंधित स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। तदनुसार, कैगा-5 व 6 की 'कंक्रीट का प्रथम भराव' (एफपीसी), दिनांक 01.03.2026 को पूरी कर ली गई और इसके साथ ही निर्माण कार्य शुरु हो गया है।

(ग) हां। लार्सन एंड टर्बो (एलएंडटी) ने केजीएस-5 व 6 के लिए चार भाप जनित्रों (स्टीम जेनरेटर) की आपूर्ति कर दी है।

(घ) हां। इन दो इकाइयों का समावेश, प्रथम फ्लीट-मोड कार्यक्रम का हिस्सा है और ये इकाइयां, सरकार द्वारा घोषित नाभिकीय ऊर्जा मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में योगदान देंगी।

*****